GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

विकास और विस्थापन में संतुलन : भारत में बांधों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रभाव पर एक अध्ययन

Vikas Tak, Research Scholar, Central University of Gujarat

आलेख

भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं, विशेष रूप से बांधो के निर्माण के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण और जटिल विकास संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। विस्थापन अक्सर पांरपरिक आजीविका को बाधित करता है, सांस्कृतिक पहचान को तो नष्ट करता ही है साथ विस्थापन से प्रभावित समुदायों के लिए अपर्याप्त मुआवजा, पुनर्वास विकल्प और अन्य आवश्यक सेवांओं तक सीमित पहुँच सहित दीर्घकालिन चुनौतियाँ पैदा करता है। यह शोधपत्र भारत में बडे पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और बांधो के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर अध्ययन करता हैं। इन परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन महिलाओं वर्ग, आदिवासी समुदायां, घुमन्तु परिवारों और ग्रामीण परिवारों जैसी कमजोर आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों पर केन्द्रित है। इस अध्ययन में विभिन्न केस स्टडीस का अध्ययन किया गया है, जिसमें मुख्यतः उत्तराखंड का टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल है, जिसने 10000 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध जिसने लगभग 41000 परिवारों को विस्थापित किया, इन विस्थापित परिवारों में से 56 प्रतिशत आदिवासी परिवार थे। शोधपत्र में राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण के निर्माण और चंडीगढ़ के एक नियोजित शहर के रूप में निर्माण के कारण हुए विस्थापन पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण लगभग 50 गाँवों का पुर्नवास हुआ। महाराष्ट्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विरोध में विशेषकर रायगढ़ और पुणे जिलों में, बुनियादी ढांचे के कारण विस्थापन के प्रतिरोध के उदाहरण के रूप में चर्चा में हैं। यह शोधपत्र अधिक समावेशी विकास रणनीतियों, बेहतर पुनर्वास नीतियों और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी परियोजनाओं का लाभ अधिक समान रूप से वितरित हो और कमजोर समूहों को अंसगत रूप से नुकसान न पहुंचे।

की-वर्ड - बुनियादी ढांचा, बांध परियोजना, विस्थापन, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, पुर्नवास।

परिचय

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से बांधो का निर्माण, भारत के विकासात्मक एजेंडे का अधार रहा है। ये परियोजनाएँ प्रगति और आर्थिक विकास का प्रतीक हैं, अक्सर इनके कारण मानवीय और पर्यावरणीय लागत भी काफी अधिक आती है। सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में आदिवासी समुदाय और अन्य कमजोर समूह हैं, जो उपजाऊ भूमि, घने जंगलों और खनिज समृद्ध भुभाग जैसे संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों में निवास के कारण अव्यवहारिक रूप से विस्थापित होते हैं। सामजशास्त्री वाल्टर फर्नांडीस के अनुसार विस्थापन केवल एक स्थान से दुसरे स्थान पर होने वाला पुनर्वास नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने, आजीविका और पर्यावरणीय संबंधों में गहरा व्यवधान है, जो विकास-प्रेरित विस्थापन की तीव्र असमानताओं को उजागर करता है (फर्नांडीस, 2001) । 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से, बहुराष्ट्रीय निगमों की आमदनी और वैश्वीकरण और उदारीकरण से प्रेरित नीतियों ने इन समुदायों का अपनी पैतृक भूमि के प्रति अलगावं को बढा दिया है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ;प्डथ्द्ध और एशियाई विकास बैंक ;।क्ठद्ध जैसे अन्तराष्ट्रीय वित्तिय संस्थानों द्वारा समर्थित परियोजनाओं में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को और भी तेज कर दिया है, जिससे अक्सर उक्त स्थान पर निवास करले वाली आबादी के अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाता है। यह विकासात्मक प्रतिमान न्याय और स्थिरता के बारें मे महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। बांधो और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं ने सिंचाई और बिजली जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में, स्वतंत्रता के बाद की नीतियों ने हरित क्रांति जैसे नवचारों का समर्थन करने के लिए बडे बांधो के माध्यम से जल संसाधनों का दोहन करने को प्राथमिकता दी, जिसका उदद्ेश्य राष्ट्र को एक आत्मनिर्भर खाद् उत्पादक में बदलाना था (विश्वनाथ, 2014)। ऐतिहासिक रूप से भारत में विस्थापन औपनिवेशिक युग से शुरू हुआ, जहाँ रेलवे और अन्य संसाधनो के निर्माण जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए बडे पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया गया, जिससे अधिकतर नुकसान स्वदेशी समुदाय को ही हुआ। यह क्रम स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भी जारी रही, विशेष

रूप से नेहरू युग के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, बडे बांधों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की स्थापना के साथ-साथ विस्थापन को भी बढावा मिला (कुजुर, 2023)। भारत में विकास कार्यक्रमों और विस्थापन के बीच संबंध अभी भी एक जटिल और विवादित विषयों में से एक है जो शिक्षाविद्ो, निति निर्माताओं और प्रभावित समूहों के बीच बहुत चर्चा का कारण बनाता है। यह चर्चा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करती है, जो दर्शाती है कि विकास, मानवाधिकार और पारिस्थितिकि स्थिरता को संतुलित करना कितना जटिल कार्य है। यह शोधपत्र भारत में बडे पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बांधों के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करता है। इसका उदद्ेश्य ऐसी परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन का पता लगाना है, महिलाओं, आदिवासी समुदायों तथा वंचित वर्ग के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंन्द्रित करना है। यह अध्ययन विभिन्न जर्नल लेखों, सरकारी रिपोर्टो, केस स्टडीज, नीति दस्तावेंजो, समाचार पत्रों की रिपोर्टा, गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्टो आदि से प्राप्त द्वितिय डाटा पर निर्भर करता है।

विकास-प्रेरित विस्थापन पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण

विकास एक बहुआयामी प्रकिया हैं जिसका उदद्ेश्य जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढाने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों को सरल और उपलब्ध करवाना है। इसमें सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना सम्मिलित है, जिससे मानवीय जीवन को सरल बनाया जा सकें। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपने मौलिक कार्य ``स्वतंत्रता के रूप में विकास`` (1999) में विकास को मानवीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत क्षमताओं के विस्तार के रूप में व्यक्त किया है, जो लोगों को भुखमारी, कुपोषण, बीमारीओं और मृत्यु दर जैसी घटनाओं से बचने में सक्षम बनाता है(सेन, 1999)। वह इस बात पर जोर देते है कि विकास व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढाने की प्रक्रिया और इसे प्राप्त करने का साधन दोनों है। विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की 1986 की घोषणा इस दृष्टिकोण को पुष्ट करती है, विकास को एक अविभाज्य मानव अधिकार के रूप में घोषित करती है। इसमें जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भाग लेने, योगदान देने और उसका आनंद लेने का अधिकार है, जिसमें

GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

सभी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं पूरी तरह से साकार हो सकती हैं (संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1986)। अपनी स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक वर्षां में, भारत ने गरीबी को कम करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के उददृेश्य से बडे पैमाने पर परियोजनाएँ शुरू करके ऐसे विकासात्मक आदर्शो को अनुसरण किया। विकास का यह मार्ग ''विस्थान के बिना कोई विकास नही'' की धारणा का पालन करता था, जिससे समाज के कमजोर वर्ग के साथ विवाद और प्रतिरोध होता था (कुजूर, 2023)। विकास की प्रक्रियाओं में अक्सर भागीदारी, विकेंद्रीकरण और स्थिरता के आवश्यक तत्वों का अभाव होता था। विकास-प्रेरित विस्थापन समाजिक न्याय और मानवाधिकार सिद्धांतो में गहराई से निहित है। आधुनिकीकरण सिद्धांत बताता है कि आर्थिक प्रगति के लिए बांध और शहरी नवीनीकरण पहल जैसी बडें पैंमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ आवश्यक हैं, परन्तु यह सभी परियोजनाएँ अक्सर आबादी को विस्थापित करने की कीमत पर साकार होती नजर आती है (लोन,2005) विकास और विस्थापन के बीच विरोधाभास की जाँच निर्भरता सिद्वांत के माध्यम से की जाती है, जो इस बात की आलोचना करता हैं कि कैसे ऐसी परियोजनाएँ पहले से ही वंचित समुदायों को हाशिए पर डालते हुए प्रमुख आर्थिक समूहों को असमान रूप से लाभान्वित करती है। विस्थापन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था आगे यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार राज्य-नेतृत्व वाली विकास परियोजनाएं अक्सर प्राकृतिक संसाधनों, जैसे नदियों और जंगलों पर नियंत्रण को स्थानीय समुदायों से राज्य नौकरशाही और निजी निगमों के पास स्थानांतरित कर देती है। यह बदलाव संरचनात्मक हिंसा का एक रूप दर्शाता है, जहाँ समाज के कमजोर एवं वंचित समूहों के अधिकारों को राज्य के विकास लक्ष्यों के अधीन कर दिया जाता है। माइकल एम. सेर्निया के निर्धनता जोखिम और पुनर्निर्माण मॉडल में पुनर्वास से जुडी आठ प्रमुख निर्धनता प्रक्रियाओं की पहचान की गई है। भूमिहीनता, बेरोजगारी, बेघर, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा तथा सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों तक पहुँच का नुकसान निराशा में वृद्धि और विघटन करता है। यह मॉडल इस बात पर जोर देता है भौगोलिक क्षेत्रों से भौतिक रूप से और स्थापित नेटवर्क होने से आर्थिक और सामाजिक रूप से कि विस्थापन सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक-सांस्कृतिक लचीलापन कम हो जाता है (सेर्निया, 2000)। विकास-प्रेरित विस्थापन विकास की लागत और लाभों के न्यायसंगत वितरण के बारे में गंभीर नैतिक चिंताओं को जन्म देता है, जिससे सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर बहस होती है (टर्मिन्स्की, 2012)। स्थायी और आदिवासी समुदायों का

नदियों और भूमि पर अधिकार जो कि इन समुदाय का प्रथागत अधिकार है। विस्थापन इन सभी संसाधन नियंत्रण में होने वाले बदलावों को भी दर्शाता है, समुदाय आधारित शासन से राज्य के नेतृत्व वाले नौकरशाही विनियमन में स्थानांतरित होता है। संक्रमणकालीन न्याय का सैद्धांतिक लेंस विस्थापन के कानूनी और नैतिक आयामों को संबोधित विशेष रूप से पुनर्स्थापन, क्षतिपूर्ति और सहभागी शासन के माध्यम से सूचित करता है (ग्रीफ और डूथी, 2010)। विस्थापन के मनोवैज्ञानिक परिणाम, जिसमें पहचान और स्थान के प्रति लगाव की हानि शामिल है, पुनर्वास रणनीतियों में सांस्कृतिक और मानसिक स्वास्थ दृष्टिकोणों के महत्व को उजागर करते हैं। शहरी संदर्भो में, नव-उदारवादी विकास नीतियाँ अक्सर आधुनिकीकरण की आड में विस्थापन को बढावा देती हैं, जिससे शहर के अधिकार और सामाजिक समावेशन के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं (अमीन एट एल.,2021)। विस्थापन अक्सर मेगा प्रोजेक्ट्स, सफाई अभियानों की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है, जो गरीबों और वंचित वर्ग को हाशिये पर विस्थापित करके मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं (फिट्जगेराल्ड और महाराज, 2024)।

बांधों के निर्माण के कारण विस्थापन

बड़े बांधों का निर्माण लंबे समय से भारत के विकास की कहानी की पहचान रहा है, सरदार सरोवद बांध, टिहरी बांध और अन्य परियोजनाओं को प्रगति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना का हिस्सा सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बडे बांधों में से एक है। सिंचाई, पीने के पानी और बिजली पैदा करके 4 करोड लोगां को लाभ पहुँचाने के लिए डिजाइन किए गए इस प्रोजेक्ट ने गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 41,000 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित कर दिया, जिनमें से 56 प्रतिशत आदिवासी थे (ठक्कर, 2010)। विस्थापन ने कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की जैसे अपर्याप्त मुआवजा, बंजर जमीनें, चारागाहों की कमी, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच की कमी और स्वाच्छता नही रहने की स्थिति से उत्पन्न प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याएँ जैसे परिवारों का अलग हो जाना, एकजुट ग्रामीण समुदायों का टुट जाना सम्मिलित हैं। इन अन्यायों के जवाब में मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में नर्मदा बचाओं आंदोलन विस्थापितों की आवाज बनकार उभरा। जबकि सरकार का दावा है कि बांध गुजरात की जीवन रेखा है, जिससे पूरे राज्य में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलता है, लेकिन समाजिक और पारिस्थिमिक

लागत गंभीर बनी हुई हैं। 37,000 हेक्टेयर कृषि और वन भूमि के जलमग्न होने से वन्यजीवों के आवास और आजीविका नष्ट हो गई है जिससे वनों की कटाई और मछली पकडने पर नकारात्मक प्रभाव पडा है (सिक्का, 2020)। भारत का सबसे बडा और एशिया का सबसे ऊँचा बांध, टिहारी बाँध ने भी इसी तरह विवाद को जन्म दिया है। सन् 1962 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ यह बांध 125 गांवों के 85000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया (UK Essays, 2021)। भूमि अधिकार, स्वच्छ पेयजल और सस्ती बिजली के सभी वादें अधूरे ही रह गए हैं, जिसके कारण कई विस्थापित परिवार उचित सहायता से वंचित रह गए हैं। पुर्नर्वासित समुदायों ने दुर्गम स्वास्थ्य देखभाव से लेकर बंजर भूमि तक की सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है जिससे उनकी आर्थिक कमजोरियों को और बढी है (सुंदरम व अन्य., 2023)। बांध निर्माण के कारण विस्थापन इन दो परियोजनाओं तक ही सीमित नही है। महाराष्ट्र में 1972 में बने पावना बांध ने 1100 लोगों को विस्थापित किया, जिनमें से केवल 300 को ही लाभ मिला। इसी तरह मध्यप्रेदश में जोभाट बांध ने आदिवासी समुदायों को उजाड दिया, जबकि हीराकुंड और भाखडा बांध जिसे पंडित नेहरू ने ''आधुनिक भारत के मंदिर'' के रूप में सहारा था, भाखडां बांध जैसी परियोजनाओं ने हजारों लोगां को विस्थापित किया, जिनमें से कई दशकों बाद भी मुआवजे का इंतजार कर रहे है (डेक्कन हेराल्ड, 2013,) । बिलासपुर टाउन जैसे शहरी पुनर्वासों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससें विस्थापित परिवारों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विस्थापन की एक और लहर का सामना करने के लिए मजबूर होना पड रहा हैं (मंथन अध्ययन केंद्र, 2005)। अरूणालचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना जैसे बांधों के निर्माण से कई स्वदेशी समुदायों का विस्थापन हुआ हैं। ये समुदाय, जो बडे पैमाने पर कृषि और आजीविका के पांरपरिक साधनों पर निर्भर हैं यह सभी प्रर्याप्त मुआवजें या पुनर्वास के बिना खुद को उजडता हुआ पाते हैंः। सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना से हजारो लोगों के विस्थापित होने, उनके सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने और उन्हें निर्वाह के वैकल्पिक साधनों के बिना छोडने की उम्मीद। इसके अलावा कई विस्थापित व्यक्तियों को भूमि अधिकार या नागरिकता से वंचित किया जाता है। असम में लोआर सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण से पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी के कारण विस्थापित समुदायों के पास आजीविका के बहुत कम विकल्प बचते है, जिससें उन्हें शहरी बस्तियों या अन्य बस्तियों या अन्य वंचित क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पडता हैं (भट्टाचार्य, 2013)। वर्ष 2004

GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

में स्थापित सुबनसिरी घाटी के लिए जन आंदोलन के स्वरूप में स्थानीय समुदायों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए लोअर सुबनसिरी जलविद्‌युत परियोजनाओं का विरोध करने सबसे आगे रहा है। इसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोंगाई के नेतृत्व में कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने स्वदेशी भूमि अधिकारों के संरक्षण पर जोर देते हुए बडे बांधों और भूमि अधिग्रहण नीतियों के खिलाफ अभियान चलाया है (गोगाई, 2019)। असम में नागरिक समाज संगठन प्रभावित समुदायां को संगठित करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए सार्वजनिक बैठकों, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों सहित विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर रहे है। इस परियोजना से क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से बंगाल फ्लोरिकन और हिमालयन सैलामैंडर जैसी गंभीर रूप सें लुप्तप्राय प्रजातियों पर प्रभाव पडने की संभावना है (सरमा, 2015)। पूर्वोत्तर में जलविद्‌युत क्षेत्र पर बाढ की समस्याएँ पैदा करने को अरोप लगाया गया है। जब जलाशय भर जाते हैं या छोटे रह जाते हैं या पानी का अचाकन प्रवाह अक्सर निचले इलाकों की ओर बाढ का कारण है, जिससें अत्यधिक समुदाय विस्थापित होते हैं और फसलें नष्ट हो जाती है (राय, 2018)। इन परियोजनाओं की पर्यावरणीय लागत मानवीय क्षति को बढाती है। वनों का जलमग्न होना, आवास विनाश और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाडते हैं। पानी का खारा होना, वनों की कटाई और नदी के तल में गाद जमने से पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण होता है। इसके अलावा विस्थापित आबादी पर आर्थिक और भावनात्मक तनाव जो आम संपत्ति, संसाधनों, आजीविका नेटवर्क तक पहुँच खो देते है, एक अधिक समावेशी विकास मॉडल की आवश्कता को उजागर करते हैं।

बुनियादी ढांचा : परियोजनाओं के कारण विस्थापन

भारत में बुनियादी ढांचे और खनन परियोजनाओं के विस्तार होन के साथ-साथ ही विभिन्न समुदायों को विस्थापित होने के लिए मजबुर होना पडा है। इन विस्थापित समुदायों की खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक अस्थिरता के बारें में चिंताएँ बढ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में, गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार में 10000 करोंड रूपये का प्रस्तावित निवेश शामिल है। 10000 करोड रूपयें की लागत से, जिसमें से 2000 करोंड रूपये भूमि अधिग्रहण के लिए आंवटित किए गए है। इस परियोजना से 14 गांवो के 1446 परिवार विस्थापित होंगे और कृषि भूमि में कमी आएगी,

जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकुल प्रभाव पड सकता है (मालिक, 2024)। इसी तरह पंजाब के मोहाली में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 14 गांवों की 5,438 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। किसानों को डर है कि प्रमुख कृषि भूमि के नुकसान से लम्बें समय में खाद्य असुरक्षा बढेंगी। अलग-अलग मुआवजे के पैकेज की पेशकश ने सरकार और प्रभावित समुदायों के बीच टकराव पैदा किया है, परिणामस्वरूप मुआवजे के वितरण में देरी और कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कडी मेहनत करने वाले किसानों को अब विस्थापन का सामना करना पड रहा है, जिससें पशुपालन व्यवसाय को खतरा उत्पन्न हो राह है। पशुपालन व्यासाय संकट में आने से विशेष रूप से उन महिलाओं पर असर पडता है जो अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर है। सामाजिक सांमजस्य में विघटन भी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरता है (ब्रिजर, 2024)। विकास के अन्य परियोजनाओं के भी इसी तरह के गंभीर परिणाम हुए है जिसमें हरियाणा के लाठ गांव में चाल कोयला खदान ने 2003 में लगभग 400 आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर दिया था। खुलें में खनन कार्यों ने जल स्त्रोतों को प्रदुषित कर दिया और कृषि भूमि को नष्ट कर दिया, चावल के खेतों की जगह काली खदानें बन गई और आस-पास की नदियों को कचरे से भर दिया। इसने कई लोगों को अपने घरों और आजीविका का साधन मछली पकडना भी छोडने के लिए मजबूर किया, जिससे ही समुदाय का भरण-पोषण होता है। छत्तीसगढ में हसदेव अरंड वन खनन भी व्यापक स्तर पर हुए विस्थापन का उदारहण है जिसमें 1500 वर्ग किलोमीटर में फैलें और कोयले के भंडार से समृद्ध इस क्षेत्र को 23 कोयला ब्लॉकों में विभाजीत किया गया है, जिनमें से छह को पहले ही खनन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। 2021 में रायपुर तक 10 दिवसीय मार्च और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कॉर्पोरेट हित प्रबल रहे। अडाणी समूह सहित कई कंपनियों ने प्रतिरोध को दबाने के लिए स्थानीय नेताओं को शामिल करते हुए मैथ्यू हिमले द्वारा ''निष्कर्षण की सामाजिक इंजीनियरिंग'' के रूप में सदंर्भित रणनीति का इस्तेमाल किया। जिन ग्रामीणों ने शुरू में खनन परियोजनाओं का विरोध किया था, उन्हें मौद्रिक प्रोत्साहन देकर चुप करा दिया गया, जिससे सामूहिक विरोध के प्रयास कमजोर पड गए। (नायडू, 2024)। ऐतिहासिक रूप से खनन ने लाखों को विस्थापित किया है जिसमें वर्ष 1950 और 1990 के बीच खनन परियोजनाओं के कारण लगभग 2.25 मिलियन लोग विस्थापित हुए। झारखण्ड में 1.5 मिलियन से अधिक लोंगो को अक्सर उचित परामर्श या

GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

मुआवजे के बिना, स्थानांनरित होने के लिए मजबूर होना पडा है। कोयला क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम, 1957 जैसे कानून भूमि अधिग्रहण के लिए अंतराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिससे असामनता और उपेक्षा के विवाद बढते है। उदारहण के लिए छतीसगढ में कुसमुंडा खदान के विस्तार के दौरान भूमि अधिग्रहण की घोषणाएँ समाचार पत्रों और सरकारी राजपत्रों में प्रकांशत की गई, जो मुख्य रूप से निरक्षर स्थानीय आबादी की समझ से दुर थे (दास, 2021)। भारत में बडे पैमाने पर विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन के दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए है इसका एक उल्लेखनीय उदारहण राजस्थान में कुंभलगढ वन्यजीव अभ्यारण का विस्तार करना है जिसे बाघ अभरायण के रूप में नामित करने पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना से भील, गरासिया और रायका चारवाहों के विस्थापित होने को खतरा है, जो अपनी आजीविका के लिए अभयारण के संसाधनों पर निर्भर हैं। जहाँ एक ओर सरकार का यह तर्क है कि इस रिजर्व के निर्माण होने से रोजगार के अवसर बढेंगें, जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों विशेष रूप से आदिवासियों को जंगल तक पहुँच खोने का डर है, जगंज के आसपास लगभग 162 गॉवों का कृषि और पशुधन व्यवसाय इसी जगंल पर निर्भर है। वन अधिकारी वकील मीनल तत्पती का तर्क है कि अभयारण में कोई बाघ नही है, जो लम्बे समय से भेडियों, तेंदुओं और मृगों का घर रहा है, इस प्रकार इसे रिर्जव घोषित करने के औचित्य को चुनौती दी गई है (मोहनटी, 2023)। इसके अलावा स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्राम सभा से निर्णय लेने की प्रक्रिया में परामर्श तक नहीं किया गया। संरक्षण प्रयासों के कारण विस्थापन का यह मुद्दा अकेला नही है। केंन्द्रिय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खुलासा किया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरूआत के बाद से संरक्षित क्षेत्रों के 225 गांवो के 18493 परिवार विस्थापित हुए है। उत्तराखंड के राजाजी और तमिलनाडु के मुदुमलाई जैसे अन्य बाघ अभयारणों से विस्थापित समुदायों ने पंचयातों (अनुसूचित क्षेंत्रों तक विस्तार) अधिनिमय और वन अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की कमी का हवाला देते हुए सरकार की कारवाई का विरोध किया है, जिसका उद्देश्य भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकार की रक्षा करना है। छत्तीसगढ में वर्ष 2000 के दशक की शुरूआत में अचानक टाइगर रिजर्व की स्थापना के कारण 6 गांवों के लोगो का विस्थापित करने के प्रयास जारी है (डाउन टू अर्थ, 2024)। पंजाब की राजधानी चंडीगढ जिसे स्वतंत्रता के बाद के भारत की आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा गया था, सन् 1950 के दशक में शहर के

निर्माण के लिए पंजाब के 50 गांवो से लगभग 8500 एकड उपजाऊ भूमि अधिग्रहित की गई थी। जबकि चंडीगढ को शहरी नियोजन के एक मॉडल रूप में प्रचारित किया जाता है। विस्थापित ग्रामीणों के न्यूनतम मुआवजा दिया गया और उन्हे हाशिए पन रखा गया था (सिंप्रगस्टब, 2022)। नगरपालिका के नियमों के कारण कई विस्थापित व्यक्ति पशुपालन जैसी पांरपरिक आजीविका को बनाए रखने में असमर्थ हैं। कृषि भूमि और सांस्कृतिक विरासत के नुकसान ने इन समुदायों को एक बदली हुई वास्तविकता के अनुकुल होने के लिए संघर्ष करना पडा है (द ट्रिब्युन, 2016)।

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का प्रभाव

भारम में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) की स्थापना वर्ष 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) अधिनियम के पारित होने के बाद से औद्योगिक विकास को बढावा देने, रोजगार पैदा करने और निर्यात बढाने के उददेश्य से की गई थी। हालाँकि इन क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया के परिणामस्वरूप किसान और मछुआरा समुदायों का महत्वपूर्ण विस्थापन हुआ है, जिससे सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल हुई है। गुजरात में अडानी समुह द्वारा विकसित मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), कच्छ की खाडी के साथ लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस विशाल परियोजना ने स्थानीय समुदायों विशेष रूप से मछुआरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है जो की अपनी आजीविका के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के निर्माण और विस्तार से पर्यावरणीय क्षरण तो हुआ है जिसमें मैग्रोव का विनाश और तटीय जलमार्गो में परिवर्तन शामिल हैं जिसने बदले में मछली की आबादी और व्यापक समुंद्री पारिस्थितिकी को प्रतिकुल रूप से प्रभावित किया है। पर्यावरणीय परिवर्तनों ने स्थानीय समुदायों की पांरपरिक मछली पकडने की प्रथाओं को प्रभावित किया है, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ और विस्थापन हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2013 की एक रिर्पोट में पाया गया कि गुजरात सरकार ने अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (MPSEZ) को भूमि हस्तांतारण की सुविधा के लिए मैंग्रोव वनों को गलत तरीके से क्षरित के रूप में वर्गीकृत किया हैं। इन गलत वर्गीकरण के कारण कच्छ में लगभग 2000 हेक्टेयर मैंग्रोव नष्ट हो गए और परिणमस्वरूप अडानी समूह को 58.64 करोड रूपये का अनुचित वित्तिय लाभ हुआ (चक्रवती, 2015)। स्थानीय मछुआरे जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं वह सभी असुरक्षित हैं

GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

क्योंकि हवाई पट्टी के निर्माण और मैंग्रोव की सफाई से मछली पकडने के मार्गो तक उनकी पहुँच बाधित होती है और महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवरोध नष्ट होते हैं जो इस क्षेत्र को चक्रवात और सुनामी जैसी पर्यावरणीय आपदाओं से बचाते है। अडानी समूह के इस दावे के बावजूद कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँगे, मछुआरे तर्क देते हैं कि उन्हें कम मुआवजे के साथ गंभीर व हानिकारक नौकरियों में मजबूर किया जा रहा है जिससें उनकी पारंपरिक आजीविका कम हो रही है। यह सभी मुद्दे (SEZ) के राजनीतिक और आिंर्थक निहितार्थो को समझनें के लिए मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करते हैं (संपत, 2010)। इसी तरह कच्छ में (SEZ) परियोजना को स्थानीय समुदायों से भंयकर विरोध का सामना करना पडा हैं, जो तर्क देते हैं कि यह तटीय विनियमन क्षेत्र कानूनों का उल्लंघन करता है और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुंचता है। विशेष रूप से (SEZ) के निर्माण से खाडियाँ भर गई हैं जो मछली और चरवाहे समुदायों दोनों के प्रवास मार्गा को प्रभावित करती है। चरागाह भूमि पर निर्भर चरवाहों के विस्थापन ने सामाजिक-आर्थिक विभाजन को बढा दिया हैं, क्योंकि ये समुदाय अपनी जमीन और आजीविका के साधन दोनां खो देते है (डाउन टु अर्थ, 2013)। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जनहित याचिकाएँ लगाना और चल रहे विरोध प्रर्दशन (SEZ) परियोजनाओं के साथ गहरे असंतोष को उजागर करते है, जो स्थानीय आबादी की भलाई पर औघोगिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2009 में सरकार द्वारा 205 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिससे (SEZ) परियोजना का विस्तार हुआ है। हालाँकि इन परियोजनाओं से प्रभावित आबादी में अत्यधिक अंशाति फैल गई है। उदाहरण के लिए रायगढ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित बहु-सेवा मार्ग के लिए 14000 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से 200000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने को खतरा है जिनमें आदिवासी और मछुआरे शामिल हैं, जो खेती, चराई और नमक उत्पादन के लिए भूमि पर निर्भर हैं। पुणे जिले में भी इसी तरह की चिंताएं जताई गई हैं, जहाँ भारत फोर्ज एसईजेड के लिए 7500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता हैं, जो मुख्य रूप से कृषि समुदायों से है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि के नुकसान का जो विरोध कर रहे हैं यह भूमि उनकी आजीविका का स्त्रोत रही है, उनका तर्क है कि एसईजेड परियोजनाएं स्थानीय बुनियादी ढाँचे और कृषि को बेहतर बनाने के लिए स्थायी विकल्पों पर विचार नहीं करती है। एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार का दृष्टिकोण अक्सर प्रभावित समुदायों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना अधिकारपूर्वक विस्थापन को शामिल करता

GYANBODH

ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

है, जिसमें बातचीत या निवारण के लिए विकल्प ही नही बचते है। अधिकतम मामलों में प्रस्तावित मुआवजा अपर्याप्त होता है और भूमि की सिंचाई के लिए वाटरशेड प्रबंधन तकनीकों को सफलातापूर्वक लागू किया गया था, वे सभी अब एसईजेड के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने पहचान खोन की संभावना का सामना कर रहे हैं (काले, 2010)। यह एसईजेड परियोजनाओं में एक सामान्य पैटर्न है, जहां उत्पादक कृषि भूमि में परिवर्तित कर डेवलपर्स को सौंप दिया जाता हैं, जबकि विस्थापित समुदायों को आय या आजीविका के लिए व्यवहार्य विकल्पों के बिना छोड दिया जाता है। अरब सागर, मुम्बई और ठाणे की खाडियों से घिरे एक द्विप धारावी की स्थिति विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें 60 प्रतिशत आबादी मछली पकडने पर निर्भर है, जबकि अन्य खेती, छोटे पैमाने के व्यवसाय और नमक बनाने में लगे हुए हैं। मैंग्रोव वनों की उपस्थिती डेवलपर्स विशेष रूप पैन इंडिया पर्यटन लिमिटेड, इस क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं, जो कथित तौर पर 5743 हेक्टेयर है, जो सराकारी स्त्रोंतो द्वारा उल्लेखित 2500 एकड से बहुत बडा है। प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र धारावी के दस गांवो के लगभग 150000 लोगों को विस्थापित की धमकी देता है (द हिंदु, 2024)। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढावा दिया जाता है, उनकी सामाजिक और पर्यावरणीय लागत महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय समुदायों का विस्थापन विशेष रूप से कृषि और पांरपरिक आजीविका पर निर्भर लोगां का इन परियाजनाओं की दीर्घकालीन स्थिरता के बारे में सवाल उठाता है। जैसा कि सरकार देश भर में नए में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) को मंजुरी देना जारी रखती है, उसे विस्थापित आबादी की चिंताओं को दूर करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त माआवजा दिया जाए और पुर्नवास के उचित एवं न्ययासंगत अवसर प्रदान किए जाएं।

भूमि और पहचान के लिए संघर्ष

पूर्वोत्तर भारत में चकमाओं का मामला विस्थापन, नागरिकता और जातीय तनाव जैसे जटिल मुद्दों को दर्शाता है। 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) में धार्मिक उत्पीडन से बचने के लिए भागे चकमाओं में कर्णफुली बिजली संयंत्र और कप्ताई बांध के निर्माण के कारण विस्थापित होना पडा था। लगभग 100000 चकमा विस्थापित हुए, जिनमें से 40 प्रतिशत ने भारत में विशेष रूप से

GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

अरूणाचल प्रदेश क्षेत्र में शरण ली। पूर्वोत्तर सींमात एंजेसी के तहत बुनियादी आजीविका प्राप्त करने के बावजूद 1972 में अरूणाचल प्रदेश के केन्द्र शासित प्रदेश और बाद में 1987 में राज्य बनने के बाद चकमाओं की स्थिती खराब हो गई। कृषि क्षेत्र में सफलता के कारण चकमाओं और स्थानीय समुदायों के बीच आंशिक रूप से तनाव बढ गया (चेतिया, 2019)। चकमाओं की स्थिती विवादास्पद बनी हुई है जबकि पुरानी पीढी को वैध प्रवासन दस्तावेज प्रदान किए गए थे, अगली पीढी ने भारत में उनके जन्म के कारण नागरिकता की मांग की थी। चकमाओं के भारतीय नागरिकता के दावें को सुप्रीम कोर्ट ने सिंतबर 2015 के फैसले द्वारा समर्थन भी दिया गया था, जिसने सरकार को उन्हे नागरिकता के अधिकार प्रदान करने का निर्देश दिया था। हालाँकि इस निर्णय को पूरी तरह से लागू नही किया गया है, और चकमा अभी भी डर में जी रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रां में जहाँ उनका समुदाय केंन्द्रित है। (इज्जत, 2022)। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वदेशी आबादी द्वारा चकमा समुदायों के प्रति व्यापक प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बढती संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था को खतरा पहुँचा सकती है और जंगल एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करती है। स्थानीय आबादी और विस्थापित समुदायों दोनों का प्रतिरोध भारत के विकास पथ में भूमि, संसाधनों और पहचान के बीच जटिल और अक्सर विवादास्पद संबंधों को दर्शाता है (चकमा, 2017)।

चर्चा

बांधो का निर्माण किसी भी देश के विकास में आवश्यक घटक हैं, जो सिंचाई, जल, विद्युत आपूर्ति और बाढ नियंत्रण जैसे लाभ प्रदान करते है। हालाँकि उनके निर्माण से नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, विशेष रूप से कमाजोर एवं वंचित वर्ग वाले समुदायों को अधिक प्रभावित करते है जो नदी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। बांधो के आर्थिक लाभ पांरपरिक रूप से लागतों से अधिक माने जाते हैं, हाल के शोध उनकी दीर्घकालिक स्थिरता, लाभ और लागतों के वितरण पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बडी बांध परियोजनाएँ विवादस्पद बनी हुई है, खासकर विकासशील देंशों में, जहाँ के अक्सर आर्थिक हितों, पर्यावरणीय या सामाजिक परिणामों के बीच संघर्ष का प्रतीक हैं। जल और ऊर्जा सुरक्षा की बढती जरूरत के कारण दुनियाभर में बांधों का निर्माण जारी है, लेकिन नकारात्मक प्रभावों को कम करने और समर्थकों और विरोधियों के बीच

GYANBODH
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

आम जमीन खोजने के लिए परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में सुधार पर ध्यान केंन्द्रित किया जा रहा है। बांधों से जुडे पर्यावरणीय मुद्दों में पारिस्थितिक व्यवधान और नदी प्रणालियों में परिवर्तन शामिल हैं। सामाजिक प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हैं क्योंकि विस्थापित समुदायों के लिए अपर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास अक्सर आजीविका और आर्थिक अवसरों के नुकसार का कारण बनता हैं। महिलाएँ और आदिवासी समुदाय विकास-प्रेरित विस्थापन का अंसगत बोझ उठाते हैं। महिलाओं को अक्सर नौकरी छूटने, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और सामाजिक रूप से कमजोर होने जैसी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पडता है, क्योंकी पुनर्वास की रणनीतियां अक्सर उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है। आदिवासी समुहों को अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान में महत्पपूर्ण गडबडी का सामना करना पडता हैं, जिसमें पैतृक भूमि का नुकसान और पांरपरिक ज्ञान प्रणालियों का ह्वास सम्मिलित है, जो कमजोर एवं वंचित वर्ग को अधिक गरीबी की ओर ले जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध इन चुनौतियों को दर्शाता हैं, जो संभावित पारिस्थितिक क्षति की पहचान करने और उसे कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आयोजित करने के महत्व को उजागर करता है। भारत में विस्थापित आबादी के पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियां और प्रावधान हैं। मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से जुडी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उचित मुआवजा और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना था, इसके कार्यान्वयन ने कई कमियों को उजागर किया है। आलोचकों का तर्क है कि अधिनिमिय, अपने इरादे के बावजूद प्रभावित व्यक्तियों को विकास में भागीदार बनाने के अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल नही कर पाया है। विस्थापन और पुनर्वास नीतियों की प्रभावशीलता को बढाने के लिए यह सुनिश्चित करके इन अंतरालों को संबोधित करना अनिवार्य है कि मुआवजा तंत्र न्यायसंगत और समावेशी हों, और सभी प्रभावित आबादी के अधिकारों और जरूरतों पर पर्याप्त रूप विचार किया जाए। सरकार को पुनर्वास नीतियों के पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रभावित समुदायों को शामिल करना चाहिए। जबकि आर्थिक विकास एक प्राथमिकता बनी हुई है, कमजोर समूहों के बार-बार हाशिए पर जाने से समावेशी नीतियों की आवश्यकता महसूस हुई जो प्रगति को समानता के साथ संतुलित करती है। व्यापक और मानवीय

GYANBODH

ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 3
May-June:2025

पुनर्वास रणनीतियों को शोषणकारी प्रथाओं को बदलना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास मानव सम्मान और पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर न हो।

निष्कर्ष

भारत में बांधों और बडे पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का विकास प्रगति और विस्थापन को विवादास्पद रूप से प्रस्तुत करता है। जबकि ये परियोजनाएँ बेहतर सिंचाई, जल-विद्युत और बांढ नियंत्रण के माध्यम से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वे पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लागत भी पैदा करती है। कमजोर समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी और कमाजोर वर्ग के समूहों का विस्थापन अक्सर अपर्याप्त पुनर्वास और पुनर्वास उपायों के साथ होता हैं, जिसे परिणामस्वरूप आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का नुकसान होता है। चूंकि राष्ट्र में पानी, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा की बढती मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखता हैं, इसलिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानना आवश्यक हैं। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विस्थापित समुदायों की आवाज सुनी जाए यह सुनिश्चित करना शामिल है। आगे बढते हुए विकास लक्ष्यों और मानवाधिकारो की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, एक ऐसा सतत् विकास मॉडल बनाना जो वास्तव में समाज के सभी वर्गा को लाभान्वित करें, साथ ही सबसे कमजोर एवं वंचित वर्ग के लोगों पर प्रतिकुल प्रभाव को कम से कम कर उनके अधिकारों की रक्षा करे। सतत् एवं समावेशी विकास की अवधारणा को अपनाते हुए विकास के नये अयामों को स्थापित करना व सभी वर्गा के लाभों को सन्तुलित करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक आवश्यक है।

संदर्भ

Amin, W., Gul, A., & Hassan, G. (2021). Understanding various dimensions of Resettlement and Rehabilitation in the context of development induced displacement: A review study. *Research Journal of Humanities and Social Sciences*. 12 (2), 115-9.

Bhattacharya, S. (2013). Hydropower Development and its Social Impact in North East India. *Journal of Development Studies,* 42(4), 67-89.

Bridger, R. (2024, April 13). Mohali Aero City expansion impacts on rural livelihoods. Land rightsfarmland, GMADA, Greater Mohali Area Development Authority

Cernea, M. M. (2000). Impoverishment risks and reconstruction: A model for population displacement and resettlement. In M. M. Cernea & C. Mcdowell (Eds.), Risks and reconstruction: Experiences of resettlers and refugees (pp. 11–55). The World Bank. Https://doi.org/10.1596/0-8213-4444-7

Chakma, R. (2017). The Chakma-Hajong challenge. Observer Research Foundation. Https://www.orfonline.org/expert-speak/chakma-hajong-challenge

Chakravartty, A. (2015, April 3). CAG: Adani-acquired forested creeks wrongly classified as degraded forests. Down To Earth. Https://www.downtoearth.org.in/environment/cag- adaniacquired-forested-creeks-wrongly-classified-as-degraded-forests-49277

Chetia, A. (2019, November 22). A question of citizenship: The case of the Chakma-Hajong refugees. SPRF. Https://sprf.in/a-question-of-citizenship-the-case-of-the-chakma- hajong-refugees/

Das, S. (2021). Development and displacement in the Damodar Valley of India. Migration and Refugee Studies, MCRG. Http://www.mcrg.ac.in/PP127.pdf

Deccan Herald. (2013, February 24). Displaced tribals march for their rights. Deccan Herald https://www.deccanherald.com/archives/displaced-tribals-march-their-rights-2322351

Down To Earth. (2013). Adani project in Mundra has violated environmental norms: moef committee report. Down To Earth. Https://www.downtoearth.org.in/environment/adani-project-in-mundra-has-violated- environmental-norms-moef-committee-report-40853

Down To Earth. (2024, November 15). Future in the forest: How eviction of villagers from Achanakmar Tiger Reserve united Adivasis to fight for CFRR. Down To Earth. Https://www.downtoearth.org.in/forests/future-in-forest-how-eviction-of-villagers- from-achanakmar-tiger-reserve-united-adivasis-to-fight-for-cfrr-845

Fernandes, W. (2001). Development-induced displacement and sustainable development. Social Change, 31(1-2), 87-103. Https://doi.org/10.1177/004908570103100208

Fitzgerald, T., & Maharaj, B. (2024). Displacement, social justice, and the right to the city: A review and critical reflections in the 21st century. *Midwest Social Sciences Journal*, 26(2). Https://doi.org/10.22543/2766-0796.1144

Gogoi, T. (2019). Large dams and popular resistance: Analyzing the role of civil society in Lower Subansiri Hydropower Project. International *Journal of Research and Analytical Reviews*, 10(8), 271-280

Greiff, P.D., & Duthie, R. (2010). Transitional justice and Development: Making Connections.

Izzat, M. (2022). The Chakmas' struggle for citizenship: Breaking down India's citizenship acquisition regime. NUJS Law Review, 15(3-4), 346

Kale, S. (2010). The anti-SEZ movement in India: An account of the struggle in Maharashtra. National Centre for Advocacy Studies. Http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/sez_sam.pdf

Kujur, J. (2023). The Effect of Development-induced Displacement on Adivasis: Evidence from the Rourkela Steel Plant Project in India. Journal of South Asian Development, 18(1), 134-154. Https://doi.org/10.1177/09731741221129352

Kujur, J. (2023). The Effect of Development-induced Displacement on Adivasis: Evidence from the Rourkela Steel Plant Project in India. *Journal of South Asian Development,* 18(1), 134-154. Https://doi.org/10.1177/09731741221129352

Lone, R.A. (2005). Development-induced Displacement. *The Journal of Social Sciences Research*, 3, 216-224.

Manthan Adhyayan Kendra. (2005). Unravelling Bhakra: Assessing the Temple of Resurgent India: Report of a Study of the Bhakra Nangal Project. Manthan Adhyayan Kendra. Https://www.manthan-india.org/wp-content/uploads/pdf/Unravelling-Bhakra.pdf

Mohanty, A. (2023). How a new tiger reserve in Rajasthan is causing fear of displacement. Indiaspend. Https://www.indiaspend.com/forest-rights/how-a-new-tiger-reserve-in- rajasthan-is-causing-fear-of-displacement-881741

Mullick, R. (2024, November 16). The expansion of Gaggal Airport is now a step closer to reality. Times of India. Https://timesofindia.indiatimes.com/city/shimla/expansion-of-gaggal-airport-now-a-step-closer-to-reality/articleshow/113752481.cms

Naidu, J. S. (2024, November 16). Hasdeo Arand mining issue: A protest explained. The Indian Express. Https://indianexpress.com/article/explained/hasdeo-arand-mining- issue-protest-9641436/

Rai, P. (2018). Flooding and Hydropower Projects in Northeast India: A Disastrous Cycle. *Environmental Journal of India, 23*(1), 34-48.

Sampat, P. (2010). Special Economic Zones in India: Reconfiguring Displacement in a Neoliberal Order? City and society, 22, 166-182.

Sarma, D. (2015). Dams and Displacement: Ecological and Social Issues in Arunachal Pradesh. *Indian Journal of Environmental Protection,* 33(7), 156-172

Sen, A. (2000). Development as freedom. New York: Anchor Books.

Sikka, G. (2020). Moving beyond economic analysis: Assessing the socio-cultural impacts of displacement and resettlement by the Sardar Sarovar Project, India. Geography, Environment Sustainability. 13(3), 90-101. Https://doi.org/10.24057/2071-9388-2019-165

Springstubb, P. (2022). A Landscape "Difficult to Describe": The Model Village and the Capital City. Architectural Theory Review, 26(3), 486–518 https://doi.org/10.1080/13264826.2023.2195672

Sundaram, D., Sharma, S., Mathur, R., Kashyap, K., & Verma, K. (2023). A case study of the background, aspects, and impacts of the Tehri Dam on the economy, ecology & population of India. *International Journal of Innovation and Multidisciplinary Research,* 3(1), 2583-4452.

Terminski, B. (2012). Development-Induced Displacement and Human Security: A Very Short Introduction - A General Overview of Development-Induced Displacement and Resettlement. *Social Science Research Network*

Thakkar, H. (2010). Displacement and development: The construction of the Sardar Dam. Cultural Surviva. Https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival- quarterly/displacement-and-development-construction-sardar-dam/

The Hindu. (2024, November 16). Dharavi rehabilitation petition challenges Maharashtra's infrastructure decision. The Hindu. Https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/dharavi-rehabilitation-petition-challenges-maharashtras-infrastructure-decision/article6872883

The Tribune. (2017). Chandigarh: The Revenant. The Tribune. Https://www.tribuneindia.com/news/archive/kaleidoscope/chandigarh-the-revenant- 276916/

UK Essays. (2021). Tehri dam: Development and displacement. Https://www.ukessays.com/essays/society/tehri-dam-development-displacement- 6178.php

United Nations General Assembly. (1986, December 4). Declaration on the Right to Development (A/RES/41/128). United Nations. Htts://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/declaration-right- development/

Vishwanath, M. (2014). Dams, development, and displacement: A sorrow picture of farce inclusive growth. V. M. Salgaocar College of Law. Https://vmslaw.edu.in/dams- development-and-displacement-a-sorrow-picture-of-farce-inclusive-growth/